फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड

आईसीआईसीआई बैंक लि0 बनाम रितेश यादव व अन्य

केस संख्या 23 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

क0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.03.2024	आईसीआईसीआई बैंक लि0, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार कुमावत द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की सम्पति का भौतिक कब्जा जरिए पुलिस सहायता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाये जाने आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई आईन्दा दिनांक 27.03.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	
	27/3/24	प्रार्थना पत्र आज पेश है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण के ऋण राशि वसूल होने से प्रकरण को DROP किया जावे। अतः प्रकरण के प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र वापस DROP करने का पेश होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली नैकल (?) होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	